प्रेस नोट ***22/08/2024***

<u>ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत महिला अपराध मामले में दोषसिद्ध 01 अभियुक्त 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व ₹20,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-</u>

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय पाक्सो कोर्ट जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 22-08-2024 को मु0अ0सं0 185/2017 धारा 323,354,452,506 भादवि0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना चिरैयाकोट में दोषसिद्ध अभियुक्त संजय पुत्र सुदर्शन निवासी नेवादा थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व ₹20,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री रामचंद्र चौहान, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी सुधीर कुमार थाना चिरैयाकोट का सराहनीय योगदान रहा।

01 राशि गोवंश बरामद 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 22.08.2024 को थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर पहसा चट्टी के पास से क्रुरता पुर्वक ले जा रहे 01 राशि गोवशं घटना कारित में प्रयुक्त एक अदद पिकअप(यूपी54एपी7819) बरामद कर अभियुक्त मन्नू साहनी पुत्र हरि साहनी निवासी भावरकोल थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया इस संबंध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 246/24 धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया। बरामद पिकअप वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण-

1. मन्नू साहनी पुत्र हरि साहनी निवासी भावरकोल थाना कोपागंज जनपद मऊ।

बरामदगी-

1. एक राशि गोवशं।
2. एक अदद पिकअप वाहन (यूपी54एपी7819)।